

2020/253

रिपोर्ट पटवारी हत्का/आपु0एल0आर0 न पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार दर्ज प्रविष्टि में खता संख्या 273 में पत्तोरी देवी पत्नी इन्द्राज मलदात) पहचान पत्र में पत्तोरी देवी पत्नी इन्द्राज सिंह द्वारा दर्ज किया जाना अस्वीकृत है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अधिशपथ की जाती है /नहीं की जाती है।

*(Signature)*  
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी द्वारा मुद्रांकित  
-: आदेश :-

दिनांक :- 21-10-2020

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में नैमांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व कार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

सं.	ग्राम	जमाबन्दी संम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
	भोड़डी	207578	273	पत्तोरी देवी पत्नी इन्द्राज	पत्तोरी देवी पत्नी इन्द्राज सिंह

नोट :-शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की जावे।

*(Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 21-10-20

राजस्व/2020/253-254

तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।  
प्रार्थी/प्रार्थीया .....



*(Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी